संचिका सं0–म0 / बजट–04 / 2025 ....88........ /

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु0),
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य / पटना, दिनांक 09.02.2026

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत ''फिश फीड मील विद्युत सहायता योजना'' हेतु स्वीकृत कुल ₹226.200 लाख (दो करोड़ छब्बीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र के अन्तर्गत तृतीय चरण में ₹79.17 लाख (उन्हतर लाख सतरह हजार रू0) मात्र आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी–I के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–6एस0एस0(6)38 / 2025–2605 दिनांक–12.06.2025 के आलोक में **''फिश फीड मील विद्युत सहायता योजना''** हेतु स्वीकृत कुल ₹226.200 लाख (दो करोड़ छब्बीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र के अन्तर्गत तृतीय चरण में कुल ₹79.17 लाख (उन्हतर लाख सतरह हजार रू0) मात्र, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–101–अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष–0104–तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104 के तहत विषय शीर्ष–0104.33.01–सब्सिडी मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी0एल0डी0ए0 के पी0एल0 खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
4. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0(2) दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग–1 के नियम–475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबावदेही आपकी होगी।
7. वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।
8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
9. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नक :–विवरणी–I (एक प्रति)

विश्वासभाजन

9/2/26

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......88...... / मत्स्य / पटना, दिनांक : ......09.02.2026...... /

प्रतिलिपि : विवरणी–I की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/2/26
निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......88...... / मत्स्य / पटना, दिनांक : ......09.02.2026...... /

प्रतिलिपि : विवरणी–I की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/2/26
निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......88...... / मत्स्य / पटना, दिनांक : ......09.02.2026...... /

प्रतिलिपि : विवरणी–I की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (सभी) / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/2/26
निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......88...... / मत्स्य / पटना, दिनांक : ......09.02.2026...... /

प्रतिलिपि : विवरणी–I की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग / संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी) / उप मत्स्य निदेशक, (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) / रोकड़पाल, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/2/26
निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......88...... / मत्स्य / पटना, दिनांक : ......09.02.2026...... /

प्रतिलिपि : विवरणी–I की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/2/26
निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म० / बजट–04 / 2025 ......88...... / मत्स्य / पटना, दिनांक : ......09.02.2026...... /

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

9/2/26
निदेशक मत्स्य

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार के अन्तर्गत "फिश फीड मील विद्युत सहायता योजना" से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप प्रथम चरण में आवंटन की विवरणी।

(राशि–लाख में)

क्र0	जिला	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	मांग सं0 02, मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 101 अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष 0104 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–02.2405001010104 के अन्तर्गत विषयशीर्ष–33.01–सब्सिडी मद														
			लक्ष्य (उत्पादन क्षमता प्रति दिन)														
			2 टन			8 टन			20 टन			100 टन			कुल		
			भौतिक	वित्तीय	वर्तमान आवंटन 35 प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	वर्तमान आवंटन 35 प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	वर्तमान आवंटन 35 प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	वर्तमान आवंटन 35 प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	कुल वर्तमान आवंटन 35 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	पटना	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।	3	5.40000	1.89000	1	7.20000	2.52000	1	18.00000	6.30000				5	30.60000	10.71000
2	भोजपुर					1	7.20000	2.52000							1	7.20000	2.52000
3	रोहतास		2	3.60000	1.26000										2	3.60000	1.26000
4	कैमूर		1	1.80000	0.63000	1	7.20000	2.52000							2	9.00000	3.15000
5	नालंदा		3	5.40000	1.89000										3	5.40000	1.89000
6	औरंगाबाद		3	5.40000	1.89000										3	5.40000	1.89000
7	मुजफ्फरपुर		5	9.00000	3.15000										5	9.00000	3.15000
8	वैशाली		1	1.80000	0.63000										1	1.80000	0.63000
9	पूर्वी चम्पारण		2	3.60000	1.26000										2	3.60000	1.26000
10	प0 चम्पारण								1	18.00000	6.30000				1	18.00000	6.30000
11	शिवहर		1	1.80000	0.63000										1	1.80000	0.63000
12	दरभंगा		1	1.80000	0.63000										1	1.80000	0.63000
13	समस्तीपुर		9	16.20000	5.67000										9	16.20000	5.67000
14	सारण		1	1.80000	0.63000										1	1.80000	0.63000
15	सीवान		4	7.20000	2.52000										4	7.20000	2.52000
16	मुंगेर		1	1.80000	0.63000										1	1.80000	0.63000
17	बेगुसराय											1	24.00000	8.40000	1	24.00000	8.40000
18	लखीसराय		1	1.80000	0.63000										1	1.80000	0.63000
19	जमुई		2	3.60000	1.26000										2	3.60000	1.26000
20	शेखपुरा								1	18.00000	6.30000				1	18.00000	6.30000
21	अररिया											1	24.00000	8.40000	1	24.00000	8.40000
22	भागलपुर		1	1.80000	0.63000	1	7.20000	2.52000	1	18.00000	6.30000				3	27.00000	9.45000
23	बाका		2	3.60000	1.26000										2	3.60000	1.26000
योगः–			43	77.40000	27.09000	4	28.80000	10.08000	4	72.00000	25.20000	2	48.00000	16.80000	53	226.20000	79.17000

₹79.17 रू0 (कुल उन्हत्तर लाख सतरह हजार रू0) मात्र

नोट :– संबंधित जिलों को लक्ष्य के अनुसार बी0एल0डी0ए0 के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

निदेशक मत्स्य 9/2/26